

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

के०डी० प्रौज्ज्वल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, भभुआ।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या के निदान हेतु नगर परिषद्, भभुआ में 04 स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प एवं उपलब्ध जल स्रोत के उपयोग के लिए 02 स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित करने हेतु ₹9.71222 लाख (नौ लाख एकहत्तर हजार दो सौ बाईस रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण राज्य के कतिपय नगर निकायों में पेयजल की समस्या आ रही है तथा आम नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक- 2560, दिनांक- 23.05.2019 द्वारा कतिपय निदेश दिये गये हैं। तदनुसार वैसे नगर निकाय, जहाँ पेयजल निश्चय योजना/AMRUT योजना/ADB सम्पोषित योजना के अन्तर्गत हर घर नल जल (पाईप जलापूर्ति) उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है, वहाँ आम नागरिकों को पेयजल संकट से राहत पहुँचाने के लिए सबमर्सिबल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय स्तर से एक मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹1.988 लाख (एक लाख अठानवे हजार आठ सौ रु०) है। उक्त मॉडल प्राक्कलन के अनुसार सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन कर Stand Post के माध्यम से जलापूर्ति किया जा सकता है। तदनुसार विभागीय पत्रांक- 2575, दिनांक- 23.05.2019 द्वारा सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापन हेतु मॉडल प्राक्कलन तथा मार्गदर्शिका सभी नगर निकायों को प्रेषित किया गया है। इसके अन्तर्गत 01 वार्ड में अधिकतम 02 सबमर्सिबल अधिष्ठापित किया जा सकता है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक- 2644, दिनांक- 28.05.2019 द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप आवश्यकतानुसार सबमर्सिबल के अधिष्ठापन हेतु राशि का माँग पत्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी नगर निकायों को दिया गया है।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ के पत्रांक- 428, दिनांक- 29.05.2019 द्वारा कुल 14 सामुदायिक स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापित करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. विदित हो कि नगर परिषद्, भभुआ में कुल 25 वार्ड है, जिसमें से 22 वार्ड नल जल योजना से पूर्णतः अच्छादित है। अतः इन वार्डों में अतिरिक्त सबमर्सिबल पम्प की आवश्यकता नहीं है।

नगर परिषद्, भभुआ के 01 वार्ड में ट्यूबवेल के रूप में जल स्रोत उपलब्ध है। अतः इस वार्ड में उपलब्ध जल स्रोत के उपयोग हेतु मात्र सामुदायिक स्टैंड पोस्ट की आवश्यकता है।

नगर परिषद्, भभुआ के शेष 02 वार्डों में जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। अतः इन 02 वार्डों में सामुदायिक स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प की आवश्यकता है।

इस प्रकार इन नगर परिषद्, भभुआ के 01 वार्ड में 02 सामुदायिक स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित कर एवं 02 वार्डों में 04 सामुदायिक स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापित कर नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. उक्त के आलोक में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर परिषद्, भभुआ क्षेत्रान्तर्गत 04 सामुदायिक स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प एवं उपलब्ध जल स्रोत के उपयोग के लिए 02 सामुदायिक स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित करने हेतु ₹9.71222 लाख (नौ लाख एकहत्तर हजार दो सौ बाईस रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)			
नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप प्रति इकाई दर	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
नगर परिषद्, भभुआ	नगर परिषद्, भभुआ के 01 वार्ड में 02 सामुदायिक स्टैंड पोस्ट का अधिष्ठापन कार्य।	0.88011	1.76022
	नगर परिषद्, भभुआ के 02 वार्डों में 04 सामुदायिक स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन कार्य।	1.98800	7.95200
कुल योग			9.71222

6. उक्त योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद्, भभुआ द्वारा कराया जाएगा।
7. योजना की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है :-
 - (i) योजना का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक- 2575, दिनांक- 23.05.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल प्राक्कलन एवं मार्ग-दर्शिका के अनुसार कराया जाएगा।
 - (ii) कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर नगर विकास एवं आवास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग का नाम, योजना का नाम, उसकी लागत, तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - (iii) योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।
8. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन नगर परिषद्, भभुआ द्वारा शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की अधियाचना आपदा प्रबंधन विभाग से की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरांत नगर परिषद्, भभुआ को उपलब्ध करायी जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-05/2019 3167 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 26/6/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमण्डल/जिला पदाधिकारी, कैमुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/19
सरकार के उप सचिव।